

पुद्दल्लुद कर्नाड जीलाकार अडि पुव्व 48/2022

13.5.2024 . बुकुलार कडि केन उपरिपत्ता महक सुमी गळी ।  
पुजावळी का अवलोकन डिप्टा जयाा पुजावळी  
पर उपलब्ध रिपोर्ट व कडि पुकी वडि के राजीनामा  
के आधार पर वाद कडि डिक्ती डिप्टा जाला हँ । पूर्वी  
डिप्टा साहित निर्यय अलग से नि जाया जाऊर  
दाखिल कार्वल डिप्टा जयेकी पुजावळी नम्बर के  
कम की जाकर वाड एरलीय लकनील जाला  
दाखिल करकर हों ।

सहायक कलक्टर एड  
उपखण्ड अधिकारी  
गवर्नमेन्ट



डिक्री बमुकदमें ईबदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 48/2022 अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रहलाद पुत्र श्री लीलाधर जाति ब्राहमण निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(राज0)

-वादी

बनाम

1. लीलाधर पुत्र श्योनारायण जाति ब्राहमण निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(राज0)
2. राजेन्द्र पुत्र श्री लीलाधर जाति ब्राहमण निवासी हरदासवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(राज0)
3. राजस्थान राज्य बजरीये तहसीलदार(राजस्व) लैण्ड होल्डर रावतसर जिला हनुमानगढ।  
-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री नत्थुराम शर्मा वकील-वादी  
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 13.05.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी प्रहलाद को रोही मौजा हरदासवाली बारानी के खसरा नम्बर 509/125 में 5.0600 हैक्टैयर में से 2.530 है. पश्चिमी की भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र को रोही मौजा हरदासवाली बारानी के खसरा नम्बर 509/125 में 5.0600 हैक्टैयर में से 2.530 है. पूर्वी पासा की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.05.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर